



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1743]

नई दिल्ली, मंगलवार अगस्त 18, 2015/श्रावण 27, 1937

No. 1743]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2015/ SRAVANA 27, 1937

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

का.आ. 2244(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पत्त: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य अक्षांश $24^{\circ}1'$ से $24^{\circ}12'$ तथा $85^{\circ}13'$ और $85^{\circ}32'$ पूर्व झारखंड राज्य के जिला हजारीबाग के मध्य अवस्थित है। अभ्यारण्य 186.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7 किलोमीटर की चौड़ाई के आकार में मोटे तौर पर आयताकार है और हजारीबाग के राजस्व खंड, आईचक और पदमा के अंतर्गत पड़ने वाले 89 ग्रामों से अधिक इसका विस्तार है;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य 24 मई, 1976 को अधिसूचित किया गया था और यह वन्यजीव खंड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है:

और जहाँ, संरक्षित क्षेत्र विविध भाति के वनों का आक्षय है— उत्तरी भारतीय पर्णपाती वन, आर्द्ध एवं शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन—और स्तनधारियों कि 16 प्रजाति, 124 पक्षी प्रजाति और वनस्पतियों कि 142 प्रजाति, तेदुआ, स्लोथ बियर, पेगोलियन्स, पैथन इत्यादि सहित जो कि सभी संकटापन्न प्रजातियाँ हैं, की अर्थपूर्ण जनसंख्या का उत्कृष्ट वासस्थान है ।

और जहाँ, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य में जैव-विविधता की अत्यधिक संगति है और भूत में इसे, हिरणों कि सर्वाधिक प्रजाति, संभर के घर के रूप में जाना जाता था । यह आक्षय, चीतल, जंगली सूअर, सियार, साही, लकड़बग्धा, पैगुलियन्स, छाती-आदि के द्वारा सहभागी किया जाता है । यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली मुख्य प्रजातियाँ हैं— सरपेंट, ईगल, पैराडाइस फ्लाई कैचर, किंग फिसर, बी ईटर, सूखा-विभिन्न प्रकार के बब्लर्स, ब्लैक ड्रॉनो, वूड पिकर, लैपविंग, पी फाउल, पोन्ड ईटर, इगर्ट इत्यादि और भेड़िया और तेदुआ जैसे मांसभक्षी भी दिखाई पड़ते हैं ।

और जिला गजट हजारीबाग, 1917 में यह मताभिव्यक्ति किया गया था कि वनों की पहाड़ियाँ व्याघ और तेंदुओं के स्थायी वास स्थान हैं और हजारीबाग का कस्ता अभ्यारण्य के वनों में जिसमें हाथी के गृह क्षेत्र भी आते हैं उनका उस क्षेत्र में आना-जाना लगा रहता है ;

और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य दो नदियों के समूह अ क्वेटा और दैवता जलग्रहण, में पड़ता हैं और संरक्षित क्षेत्र में वर्षा होने से प्राकृतिक धाराएं और झीलों जलग्रहण क्षेत्र के रूप में उपयोग होता है । संरक्षित क्षेत्र के वन वर्षा के जल अंतररोध करता है जिससे भूजल जलभृत का पुनःभराव करने में सहायता मिलती है तथा मिट्ठी के कटाव को रोककर उसमें गाद भरके नदी की धाराओं को संरक्षण देती है ;

और संरक्षित क्षेत्र वाला भाग स्थानीय जनसंख्या को आजीविका के साधन उत्पादन करने में सहायता करता है जिसका वन्यजीव अनुसंधान और शिक्षा की गुंजाइश के अत्यधिक बोधात्मक मूल्य है और उन्नतशील पारिस्थितिक पर्यटन का समर्थन करने के लिए जबरदस्त क्षमता है ;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विनियमन और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने की प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3

उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, कि सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तार तक की सीमा क्षेत्र को हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएँ—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से शून्य से पांच किलोमीटर तक है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र 593.48 वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा का वर्णन निम्नानुसार है :

दक्षिणी ओर : सिवान नदी, अलोंजा काला संरक्षित वन और, हजारीबाग बस्ती से बाहर निकलते हुए करीमति संरक्षित वन। हजारीबाग बस्ती से आगे तथापि चढ़वा गांव, चढ़वा बांध तथा प्रवासी पक्षियों के महत्व समझते हुए कमजोर पारिस्थितिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ;

उत्तरी ओर : महाबार पहाड़, बरसोत संरक्षित वन, बही पहाड़, एन.एच.-33 और केवटा नदी ;

पश्चिमी ओर : मोहने नदी, अनियां मौजा, पानीघाट नाला और चोपा गांव ;

पूर्वी ओर : बसोती नाला, जी. टी. रोड़, चेकापी, सोनार खाप और बसारिया ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के जीपीएस निर्देशांक उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध हैं

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार द्वारा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, तैयार होगी।

(4) आचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगी।

(5) आचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दाराता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, गृह और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी अपर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, गामों और नगरीय बंदोबस्ती वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उपकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अन्वयन करेगी।

(8) आचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए

विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं 0 25, 29, 31 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;
- (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैट, लकड़ी के मकान ;
- (iii) वर्षा जल संचय ; और
- (iv) कुटीर उद्योगों में ग्रामीण कारीगर, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य फरंधरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ;

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ;

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः

वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे त्रैयां लिए हानिकारक हैं ।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा वन और पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i). पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्युत पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक क्रियाकलापों को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्यारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिकारित लिए वास सुविधा के सिवाय हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों के स्थापन को पूर्व परिभाषित, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटक सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विद्युत और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संरक्षित तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत

सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झारनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) बहिसाव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिसाव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पर्यावरण के लिए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भूमीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समीक्षा समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपर्याख के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विकास होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने वाले अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों द्वारा इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपाततः मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिष्ठित और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनियमित रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3

क.प्रतिष्ठित क्रियाकलाप :

(1)	<p>वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।</p>	<p>(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और खनिज), पत्थर की खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के सिवाय नहीं होंगी ;</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उपयोग न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन यित्तम्</p>
-----	---	---

		बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (र्स.) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुजात नहीं किया जाएगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुजात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत् जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप गर्म वायु गुबारे आदि का अन्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्साव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व में

		<p>निजी भूमि पर या बनों में किन्हीं वृक्षों का कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p>
(11)	होटलों और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुजात होंगे।</p> <p>तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक नए पर्यटन क्रियाकलाप या क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायात्रा और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे।</p>
(12)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	<p>(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुजात होगा।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, जाहे।</p> <p>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुजात होगा।</p> <p>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए स</p>

		उपाय किए जाएंगे ।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों, लॉज और रिसोर्टों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुवृद्ध करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाधात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
'17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	वायु (ध्वनि सम्मिलित है) और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	11 केवी और उससे ऊपर हाई टैशन शक्ति विद्युत पारेषण लाइनों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों और, या, मानीटरिंग समिति की सिफारिश के साथ आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(23)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न

		<p>करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार संवेदी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ख) 1 किलोमीटर के परे और परिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संबंधित स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संविधान अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संबंधित क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p> <p>(ग) परिस्थितिक संवेदी जोन में संबंधित क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।</p>
(24)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्रों में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्साव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों निपटान के लिए विद्यमान विनियमों के अनुपालन करना होगा।
(25)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	परिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(26)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	सुरक्षा बल केंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	परिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

		परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग से प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक को प्रयोग में लाते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किए जा सकेंगे ।
(29)	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलाप हेतु पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू/विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

ग - उन्नत क्रियाकलाप :

(30)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुर्घटशाला, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुजात होंगे ।
(31)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) उपायुक्त, हजारीबाग, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष
- (ख) क्षेत्रीय अधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रंदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
- (ग) झारखण्ड सरकार के वन और पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (घ) झारखण्ड सरकार के खनन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;

- (ङ) झारखण्ड सरकार के उद्योग विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (च) झारखण्ड सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि- सदस्य ;
- (छ) झारखण्ड सरकार के जल संसाधन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ज) झारखण्ड सरकार के लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (झ) ज्येष्ठ नगर योजनाकार, झारखण्ड सरकार - सदस्य ;
- (ञ) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे झारखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;
- (ट) पारिस्थितिकीय और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे झारखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ; और
- (ठ) प्रभागीय वन अधिकारी, हजारीबाग वन्यजीव खण्ड - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

- (2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसका अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त, कोई व्यक्ति जो इस

अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्धारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट तक की राज्य के मुख्य बन्यजीव वार्डन को उपाबंध IV पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।


उपलब्ध

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की परिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा व
साथ भूमण्डलीय स्थिति प्रणाली (जीपीएस) निर्देशांक ।

क्र. सं.	भौगोलिक पोशिनिंग सिस्टम	देशांतर	अक्षांश
1.	पू 01	85°8.706' पू	24°12.505' उ
2.	पू 02	85°14.368' पू	24°13.392' उ
3.	पू 03	85°18.011' पू	24°13.170' उ
4.	पू 04	85°22.047' पू	24°12.102' उ
5.	पू 05	85°26.246' पू	24°13.997' उ
6.	पू 06	85°29.989' पू	24°14.490' उ
7.	पू 07	85°34.003' पू	24°11.630' उ
8.	पू 08	85°34.001' पू	24°8.644' उ
9.	पू 09	85°30.849' पू	24°5.477' उ
10.	पू 10	85°29.128' पू	24°2.420' उ
11.	पू 11	85°24.647' पू	24°2.964' उ
12.	पू 12	85°23.248' पू	24°2.328' उ
13.	पू 13	85°19.769' पू	24°1.092' उ
14.	पू 14	85°15.208' पू	24°0.271' उ
15.	पू 15	85°12.587' पू	24°2.134' उ
16.	पू 16	85°11.982' पू	24°4.971' उ
17.	पू 17	85°10.091' पू	24°7.275' उ
18.	पू 18	85°8.697' पू	24°9.403' उ
19.	पू 19	85°8.796' पू	24°11.242' उ

उपांकथा II

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखण्ड के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र ।



उपांत्य III

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड की प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची ।

कमज़ोर पारिस्थितिकी/पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पहचान के लिए हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के एन्कलेव ग्रामों के छाँवे

क्र.सं.	गांव के नाम	एडम्म ब्लॉक	परि वार	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अन्य	वन भूमि (हेक्टर)	सरकारी भूमि	कृषि भूमि (हेक्टर)	अन्य उत्थनन	खनन/ उद्योग	हजारीबा ग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दूरी(किमी)	1.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	बनगनवा	बरही	36	268	0	0	268	198.03	42.35	166.77	शून्य	शून्य	5
2	बेला	बरही	182	1140	212	0	928	0.00	66.85	195.44	शून्य	शून्य	3
3	छालनगा	बरही	95	577	18	2	557	80.10	97.68	131.8	शून्य	शून्य	4.5
4	महुरार	बरही	64	507	0	0	507	205.20	25.16	35.96	शून्य	शून्य	2.5
5	तेतारिया भानदारो	बरही	30	231	0	0	231	106.26	58.04	102.13	1	शून्य	5
6	तिलाईदीन	बरही	104	687	164	0	523	25.00	35.8	162.78	शून्य	शून्य	2.0
7	जीतपुर	बरही	87	434	13	90	331	201.42	24.50	102.10	शून्य	शून्य	4.5
8	कुतमा	बरही	101	537	81	455	1	457.03	56.92	49.20	शून्य	शून्य	2.5
9	पिपराटैड	बरही	33	183	26	130	27	87.48	31.26	28.45	शून्य	शून्य	3.5

१०	इन्हुं	बरही	126	830	0	0	830	39.43	11.45	67.3	1	शून्य	1.0
११	खुतरा	इछक	239	1517	327	1	1189	122.05	57.08	115.23	शून्य	शून्य	0.5
१२	रद	इछक	155	757	160	0	597	0.00	59.98	50.64	शून्य	शून्य	0.5
१३	सिरसी	इछक	108	722	75	0	647	0.00	34.1	53.59	शून्य	शून्य	1.0
१४	टहरिया	इछक	85	557	140	0	417	0.00	12.25	34.85	शून्य	शून्य	2.0
१५	गन्तुरा	इछक	421	2181	340	2	1839	0.00	47.85	97.43	शून्य	शून्य	2.5
१६	जमुआरी	इछक	198	1166	176	0	990	0.00	63.43	58.78	शून्य	शून्य	3.0
१७	मान्तुआ	इछक	38	208	0	0	208	0.00	37.46	18.19	शून्य	शून्य	5
१८	लाप्रख	इछक	171	955	206	0	749	0.00	11.05	56.03	शून्य	शून्य	0.5
१९	गोवरहाथा	इछक	175	1189	124	3	1062	0.00	119.36	48.02	शून्य	शून्य	0.5
२०	पुरनाईयाक	इछक	271	1723	384	0	1339	315.10			शून्य	शून्य	2.12
	अलियास												
२१	बिंगा	इछक	559	3280	520	0	2760	24.12	290.59	193.63	2	शून्य	0.75
२२	चन्दा	इछक	119	641	88	0	553	1.00	37.43	42.95	शून्य	शून्य	2
२३	दरिया	इछक	298	1799	273	0	1526	216.76	52.64	86.48	शून्य	शून्य	0.5
२४	जलाओनधा	इछक	260	1389	536	0	853	215.00	23.46	40.15	शून्य	शून्य	1.25
२५	जोगादि	इछक	86	536	81	0	455	0.00	38.26	48.68	शून्य	शून्य	0.5
२६	करियादपुर	इछक	346	2003	207	1	1795	0.00	128.42	88.42	शून्य	शून्य	2.5
२७	कुरहु	इछक	390	2583	426	0	2157	0.00	63.05	92.45	शून्य	शून्य	3.5
२८	लीनहरी	इछक	48	256	185	0	71	54.85	2.95	36.87	शून्य	शून्य	5
२९	सराम	इछक	45	286	0	1	285	0.00	18.02	12.45	शून्य	शून्य	1.5
३०	उरका	इछक	133	807	81	10	716	24.87	68.82	62.96	शून्य	शून्य	1.5
३१	बर्मी	इछक	161	842	75	589	178	556.36	127.67	62.50	3	शून्य	3.5
३२	बसरिया	इछक	106	613	31	0	58	85.08	5.33	82.41	3	शून्य	5

33	दरहा	इछक	176	1134	226	0	908	201.6	110.21	73.65	शून्य	शून्य	2.12	
34	देवोकुली	इछक	532	3070	1006	69	1995	0.00	65.25	101.35	शून्य	शून्य	5	
क्र.सं.	गांव के नाम	एडमस द्वाका	परि	कुल	अनुसूचित जाति	अन्य	वन भूमि (हेक्टर)	अन्य सरकारी भूमि	कृषि भूमि (हेक्टर)	खनन/ उत्खनन	उद्योग	हजारीबा ग वन्यजीव अभयारण य की सीमा से दूरी(किमी)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35	दिघीबरस्ती	इछक	38	261	9	0	252	33.38	98.08	42.01	शून्य	शून्य	1.5	
36	करस्मा	इछक	126	810	112	0	698	51.98	77.41	62.74	शून्य	शून्य	0.5	
37	खड़ीरा	इछक	257	1455	300	321	834	284.68	510.42	144.23	शून्य	शून्य	3	
38	लुनदर्क	इछक	404	2111	407	1	1703	214.53	130.11	195.91	शून्य	शून्य	5	
39	मरपा	इछक	63	297	49	58	190	0.00	139.39	45.42	शून्य	शून्य	5	
40	फुरुका	इछक	112	596	56	0	540	0.00	156.20	53.39	शून्य	शून्य	5	
41	गरी सराम	इछक	167	886	305	0	561	102.87	54.31	80.14	1	शून्य	2	
42	घाघरा खुद	इछक	121	650	0	0	650	0.00	69.41	38.42	शून्य	शून्य	5	
43	उजराही दिगंबरी	इछक	6	52	31	18	3	284.68	1.78	*		शून्य	शून्य	2
44	अमझार नदी	कटकामस	249	242	0	7	509.11	15.70	30.84	शून्य	शून्य	5		
45	बनाङ्गिया	कटकामस	76	441	96	0	345	42.14	157.89	58.08	शून्य	शून्य	2	

		नदी	कटकामस	2195	658	6	1531	267.33	4.76			
46	बरगारा	कटकामस नदी	353	1220	201	534	485	646.83	316.14	51.64	2	शून्य
47	बरीकोला झोन्झ	कटकामस नदी	198	596	386	208	2	401.54	141.92	25.12	शून्य	शून्य
48	दहरी	कटकामस नदी	100	1975	217	0	1758	215.93	100.00	42.41	शून्य	शून्य
49	धुतवा	कटकामस नदी	292	214	54	0	160	0.00	4.52	102.45	शून्य	शून्य
50.	जोलहादिहा	कटकामस नदी	29	567	165	12	390	330.26	25.7	16.13	शून्य	शून्य
51	कोथोउतिया	कटकामस नदी	115	530	177	37	316	236.49	81.32	98.9	शून्य	शून्य
52	लखरु	कटकामस नदी	94	465	0	191	274	511.47	14.60	67.17	शून्य	शून्य
53	लावाकुदार	कटकामस नदी	71	416	118	0	298	299.02	43.94	120.37	शून्य	शून्य
54	मानर	कटकामस नदी	60	510	191	16	303	186.05	18.79	88.89	शून्य	शून्य
55	मरिगारा	कटकामस नदी	85	249	6	102	141	373.96	4.89	70.69	शून्य	शून्य
56	मउहगन	कटकामस नदी	39	535	18	0	517	78.47	2.28	11.6	शून्य	शून्य
57	उलानज	कटकामस नदी	79							127.21		1

	रीवाली	कटकामस नदी	230	1350	341	5	1004	0.00	84.16	49.48	शून्य	शून्य	1.5
क्र.सं.	गाव के नाम	एडमस ब्लॉक	परि वार	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अन्य	वन भूमि (हेक्टर)	अन्य सरकारी भूमि	कृषि भूमि (हेक्टर)	खनन/ उत्थनन	उद्योग	हजारीबा- ग पन्थीय अभ्यारण य की सीमा से दूरी(किमी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70													
71	रोमी	कटकामस नदी	374	2920	384	0	2536	0.00	105.48		शून्य	शून्य	1.5
72	नवखाप	कटकामस नदी	55	340	108	0	232	158.51	95.53	60.39			
73	तुनरि	कटकामस नदी	11	52	49	0				14.08	शून्य	शून्य	5.0
74	पकरार	कटकामस नदी	160	1081	17	0	1064	15.87	168.89	23.45			
75	तिलाइया	कटकामस नदी	41	302	0	0	302	18.15	31.42	30.71	शून्य	शून्य	2
76	छपवा	एच_बाग	75	484	303	0	181	13.39	13.37	71.39	शून्य	शून्य	3.5
77	चुरचु	एच_बाग	389	2402	479	1	1922	0.00	243.75	178.6	1	शून्य	3.5
78	मेजवाल	एच_बाग	91	478	112	9	357	0.00	84.55	40.19	शून्य	शून्य	4
79	नागवान	एच_बाग	510	2901	389	0	2512	0.00	64.32	88.38	1	शून्य	2.5

80	लाति	पदमा	88	462	57	0	405	16.23	30.04	43.68	शून्य	शून्य	5
81	नवादिह	पदमा	41	224	0	0	224	4.63	68.01	41.26	4	शून्य	2
82	पदमा	पदमा	932	5660	871	4	4685	77.00	665.71	126.46	शून्य	शून्य	2
83	पसाई	पदमा	456	3051	515	0	2536	26.96	266.94	86.04	शून्य	शून्य	2.5
84	पिन्दारकोन	पदमा	229	1688	395	91	1102	336.80	117.44	75.66	शून्य	शून्य	1.5
85	पीरी	पदमा	225	1329	531	126	672	0.00	102.23	82.45	शून्य	शून्य	1
86	सलगावन	पदमा	416	2636	325	0	2311	0.00	108.15	132.38	शून्य	शून्य	3.5
87	सिला	पदमा	239	1381	301	165	915	0.00	76.24	93.42	शून्य	शून्य	2
88	सोनपुरा	पदमा	79	407	141	0	266	52.59	39.75	36.06	2	शून्य	1
89	आरार	पदमा	202	1212	393	0	819	168.34	141.83	86.68	3	1	1.5
90	गरवा	पदमा	135	841	201	0	640	40.12	32.91	72.08	शून्य	शून्य	1.5
91	कुटीपीसी	पदमा	335	1910	213	11	1686	19.73	63.68	74.12	शून्य	शून्य	1.0
92	मन्त्रारमाओ	पदमा	88	536	247	0	289	65.78	54.20	36.98	शून्य	शून्य	0.5
93	सराइया	पदमा	589	3786	764	0	3022	605.76	81.49	286.5	शून्य	शून्य	1.0
94	सुरजपुरा	पदमा	423	2551	392	0	2159	0.00	30.34	26.18	शून्य	3	2.0
95	युजी	पदमा	191	1034	127	0	907	11.78	41.59	67.26	शून्य	शून्य	1.5
96	बिहारी	पदमा	290	1430	107	0	1323	39.69	15.90	38.14	शून्य	शून्य	1.5
97	झङ्गाव	पदमा	34	261	0	0	261	8.14	15.07	18.04	शून्य	शून्य	3.0
98	महकोला	पदमा	261	1388	212	0	1176	435.49	67.64	154.46	शून्य	शून्य	4.5
99	चम्पादीह	पदमा	273	1461	206	0	1255	22.82	94.28	112.66	शून्य	शून्य	5.0
							Total-	2182.60	3113.58	2211.10			
							G. Total-	11424.02	8713.8	7899.35			

कमज़ोर पारिस्थितिकी/परिस्थितिकी संबंधी जल की पहचान के लिए हजारिबाग बन्धजीव अभ्यारण के एन्कलेव ग्रामों के छाँवे

इकाई के नाम	एडनम ब्लॉक	परिवार	कुल	अनुशूचित	अन्य	वन भूमि	कृषि भूमि	खनन/ (हेक्टर)	उद्योग उत्थन न	हजारिबा ग वन्धजीव अभ्यारण य की सीमा से दूरी(कि मी)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बालिया	कटकामसन-									शून्य	शून्य	शून्य	
1	होरेया	दी	51	374	35	0	339	86.673	36.64	59.51	शून्य	शून्य	
2	राइबिर	कटकामसन-	दी	99	858	235	0	623	488.194	159.13	114.87	शून्य	शून्य
3	दहतो खुर्द	कटकामसन-	दी	132	1341	138	128	1075	485.668	89.86	109.10	शून्य	शून्य
4	दनातो कालन	कटकामसन-	दी	301	2513	362	1111	1040	789.028	156.85	268.34	शून्य	शून्य
5	कुद	कटकामसन-	दी	118	1145	430	265	450	225.619	130.54	135.43	शून्य	शून्य
6	बजहा	कटकामसन-	दी	51	441	235	23	183	159.453	42.67	58.49	शून्य	शून्य
7	सकरजा	कटकामसन-	दी	124	1012	236	326	450	201.818	123.52	144.00	शून्य	शून्य
8				37	263	205	6	52	255.142	32.57	46.45		

	कुमरा	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	186	171	0	15	95,267	10,89	20,83	शून्य	शून्य
9	बोरेगरा			30							शून्य	शून्य
10	उरीदिरी	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	23	218	51	167	0	149,267	3,74	33,38	शून्य
11	खरिका	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	32	241	18	83	140	159,125	32,11	52,37	शून्य
12	इदला	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	31	224	96	84	44	129,656	38,81	52,3	शून्य
13	हेसा कुदार	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	58	546	106	49	391	111,685	34,46	102,94	शून्य
14	लाखनु	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	91	749	121	286	342	0,00	93,74	124,41	शून्य
15	हतकउना	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	64	530	177	37	316	239,3	93,76	55,16	शून्य
16	হুরহাদ	কটকামসন্ দী	কটকামসন্ দী	54	1120	307	63	750	389,295	167,72	121,57	শूন্য
17	নচলে	কটকামসন् দী	কটকামসন্ দী	38	268	7	24	237	357,294	26,51	57,80	শूন্য
18	গুরুদিহ	কটকামসন্ দী	কটকামসন্ দী	29	185	180	5	0	159,291	9,09	79,83	শূন্য
19				45	416	42	335	39	398,551	78,81	97,46	শূন্য
20	দানর	কটকামসন্ দী	কটকামসন্ দী	386	3494	680	165	2649	638,838	171,96	99,38	শূন্য
21	সরুগরু খুর্দ	কটকামসন্ দী	কটকামসন্ দী	57	342	26	0	316	12,576	4,88	104,64	শূন্য

धरहरा	कटकामसन् दी	कटकामसन् दी	46	248	103	0	145	5,526	19.44	86.16	शून्य	शून्य
34	कलवाडी	कटकामसन् दी	35	198	110	21	67	8.34	3.45	10.12	शून्य	शून्य
35	रहेया	इछक	71	458	454	0	4	565.619	48.57	107.84	शून्य	शून्य
36	दुमरी	इछक	17	62	62	0	0	574.15	15.39	18.93	शून्य	शून्य
37	Total-	3612.0	30932.00	8238.00	3179.00	5.00	1951	7792.24	2340.78	3661.20		
क्र.	गांव के नाम सं.	एडम्स ब्लॉक	परिवार जनसंख्या	कुल जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य जाति	वन भूमि (हेक्टर)	अन्य	कृषि भूमि (हेक्टर)	खनन/ उत्थन न	उद्योग वन्यजीव अभ्यारण य की सीमा से दूरी(कि मी)	हजारीबा ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	चम्पानगर रवादीह	इछक	254	1930	390	0	1540	759.708	163.89	264.93		
39	तिलरा	इछक	212	1476	379	90	1007	495.336	128.105	178.35	शून्य	शून्य
40	भरवा	इछक	44	391	75	0	316	15.814	96.95	82.53	शून्य	शून्य
41	दुमराउन	इछक	736	5886	1086	12	4778	118.485	62.66	368.25	5	6
42	दानगी	इछक	93	696	188	0	508	452.789	87.68	157.54	1	शून्य
43	मथवा	इछक	1	3	0	0	3	321.956	16.63	5.47	शून्य	शून्य
44	कहले	इछक	21	143	0	0	143	595.312	0.41	30.17	शून्य	शून्य
45	पोखरीया	इछक	7	15	6	9	755.231	0.00	104.87	शून्य	शून्य	

46	पनदरा	इचक	10	39	0	35	4	161.295	17.6	41.7	8	शून्य
47	लोटवा	इचक	60	402	263	137	2	145.260	106.72	72.86	शून्य	शून्य
	परासी	इचक	3	12	0	12	0	1048.977	88.63	10.07	शून्य	शून्य
48	राजधाट	इचक	18	139	120	0	19	107.363	51.59	38.08	शून्य	शून्य
49	हसेल	इचक	111	743	97	0	646	203.279	131.21	47.5	शून्य	शून्य
50	मनई	इचक	241	1781	174	0	1607	550.692	133.56	185.53	शून्य	शून्य
51	बरकाकलान	इचक	176	1517	327	1	1189	123.656	58.45	115.23	शून्य	शून्य
52	खुतरा	इचक	348	2778	570	72	2136	58.409	136.45	128.07	1	शून्य
53	पारसी	इचक	299	2576	694	12	1870	156.575	95.37	189.06	शून्य	शून्य
54	हदारी	इचक	125	1125	368	22	735	403.305	106.08	102.23	23	10
55	सिंजहुआ	इचक	27	180	144	0	36	429.575	99.18	124.63	शून्य	शून्य
56	साएलकालन	इचक	47	257	12	195	50	576.980	47.64	101.82	शून्य	शून्य
57	तुरी	इचक	113	788	351	88	349	465.856	88.17	246.53	शून्य	शून्य
58	दरीधाधर	इचक	75	521	0	263	258	577.097	61.16	104.63	शून्य	शून्य
59	गरदीह	इचक	28	184	0	184	0	117.705	8.69	44.5	शून्य	शून्य
60	पुरानपनिया	इचक	113	863	146	1	716	193.931	23.64	117.60	शून्य	शून्य
61	कलादिवार	इचक	98	746	0	333	413	66.765	41.07	222.8	शून्य	शून्य
62	फुकुन्दी	इचक	35	212	0	0	212	309.761	23.78	35.14	शून्य	शून्य
63	सिमरातरी	इचक	42	297	49	58	190	84.737	54.66	45.42	शून्य	शून्य
64	मरपा	इचक	35	102	28	0	74	9.534	64.88	63.9	1	शून्य
65	गुरुकुआ	इचक	51	135	32	0	103	162.919	76.63	102.55	शून्य	शून्य
66	फलदाहा	इचक	21	80	14	0	66	51.623	20.16	80.97	शून्य	शून्य
67	सएलखुर्द	इचक	155	757	160	0	597	274.898	59.98	50.64	शून्य	शून्य
68	बुन्दु	पदमा	171	628	75	22	531	639.182	104.12	145.35	3	शून्य
69	दोनाइकालन	पदमा	88	324	60	15	249	0.00	86.21	107.25	शून्य	शून्य
70	दोनतोखुर्द	पदमा	99	830	26	11	793	245.255	40.53	397.22	1	शून्य
71	जिहु	पदमा	133	785	120	0	665	153.968	53.09	134.84	शून्य	शून्य
	कुल-	कुल-	4090.00	29341.00	5964.00	1563.00	21814.00	10833.23	2435.58	4248.23		
	अनुदान-		7702.00	60273.00	14202.00	4742.00	41329.00	18625.466	4776.355	7909.43		

उपांग-IV

**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई
की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक् अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यावरण महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौहार एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौहार एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2015

S.O. 2244(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forestand Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:-esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Hazaribagh Wildlife Sanctuary lies between latitudes $24^{\circ}1'$ to $24^{\circ}12'$ North and Longitudes $85^{\circ}13'$ and $85^{\circ}32'$ East in Hazaribagh district of Jharkhand. The sanctuary occupies an area of 186.25 square kilometres and is roughly rectangular in shape covering a length of about 26 kilometres from East to West and a breadth of about 7.5 kilometres from North to South and it extends over 89 villages falling under the revenue division of Hazaribagh, Ichak and Padma;

AND WHEREAS, Hazaribagh Wildlife Sanctuary was notified on 2nd May, 1976 and is under the administrative control of Wildlife Division, Hazaribagh;

AND WHEREAS, the Protected Area is home to diverse types of forests - Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist and Dry Peninsular Sal Forest and Northern Dry Mixed Deciduous Forest - and is an excellent habitat for significant populations of 16 species of mammals, 124 species of birds and 142 species of flora, including leopards, tigers, bears, pangolins, python, etc., which are all endangered species;

AND WHEREAS, the Hazaribagh Wildlife sanctuary has a wide range of biodiversity and in the past, it was known as the home of sambhar, the largest deer species of India. The habitat is also shared by cheetahs, wild boars, black bears, jackals, porcupines, hyenas, pangolins, hares, etc. The important bird species which can be spotted frequently are serpent

eagle, paradise fly catcher, king fisher, bee eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, pea fowl, pond heron, egret, etc., and carnivores like wolves and leopards are also spotted.

AND WHEREAS, in the District Gazetteer of Hazaribagh, 1917, it was observed that the hills of Danto served as the permanent habitat of tigers and that of leopards and were frequently visited the town of Hazaribagh and the forests of the sanctuary also fall in the home range of elephant;

AND WHEREAS, Hazaribagh Wildlife Sanctuary lies in the catchments of two river systems, namely, Kweta and Daita and the protected area also serves as the catchments of many rain-fed natural streams and lakes. The forests of the protected area intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion;

AND WHEREAS, the protected area supports the local population by providing them with means of livelihood, has great aesthetic value and scope for wildlife research and education and has tremendous potential to support thriving eco-tourism;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Hazaribagh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from the ecological and environmental

point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto five kilometres from the Hazaribagh Wildlife Sanctuary in the State of Jharkhand as the Hazaribagh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are given under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero to five kilometres from the boundaries of the Hazaribagh Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 593.48 square kilometres. The boundaries of Hazaribagh Wildlife Sanctuary are as follows:

Southern side: Siwane river, Alaunja Kala Protected Forest and Karimnagar Protected Forest, leaving out Hazaribagh township. Beyond Hazaribagh township, however, Charwa village has been included in the eco-fragile zone because of the importance of Charwa dam for native, as well as migratory, birds;

Northern side: Mahabar Pahar, Barsot Protected Forest, Bahi pahar, N.H.

-33 and Kewta Nadi;

Western side: Mohane river, Anianwan mauja, Panighat nala and Chopa village;

Eastern side: Basotinala, G.T. road, Checkapi, Sonar khap and Basaria.

(2) The GPS coordinates of Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure I.**

(3) The map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of one year from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture; and
- (ix) Jharkhand State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on approved existing land use, infrastructure and activities, unless specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests

agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 25, 29, 31and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government through the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this subparagraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) Natural springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up

by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism.-(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Jharkhand in consultation with the Departments of Revenue and Forests.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Haziribag Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-

defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, ridges, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions

of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981)and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under. –

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material shall be disposed off in an acceptable manner.

acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive zone.

No burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the

sensitive Zone.

(10) **Bio-medical wastes**-The bio-medical waste disposal in the

sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical

Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the

Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and

Climate Change under Notification number S.O. No. 830(E), dated 20th

July 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**-The vehicular movement or traffic shall be

regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and such that the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(ii) **List of activities prohibited or to be regulated within the**

sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed

by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)

and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner

specified in the Table below; namely:-

Table I
List of activities prohibited or to be regulated within the

Table 10 Prohibited activities (except as otherwise provided)

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of bona fide local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

7.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

B. Regulated Activities:

10.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest land Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
-----	-------------------	---

11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
12.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.</p> <p>(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority.</p> <p>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.</p> <p>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>

	(b) Construction or erection of electrical cables and other structures which may affect the environment.	Prohibited under applicable laws.
15.	Fencing of existing premises of tourist lodges, hotels, inns, guest houses, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and bridges.	Shall be done with prior Environment Impact Assessment and mitigation measures, applicable.
17.	Movement of vehicles on traffic free areas of hill slopes and around water bodies.	Regulated under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted.	Regulated under applicable laws.
20.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

22.	Erection of high-Tension power transmission lines, 1 KV and above;	Regulated under applicable laws and guidelines pertaining to the Environment and as per the Zonal Master Plan and, or, with the recommendation of the Monitoring Committee.
23.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority, as per applicable rules and regulations, if any.
	(b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.	
24.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste the existing regulations shall be followed.

Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products indigenous goods from the sensitive Zone which do not cause any adverse impact environment shall be permitted.
Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock.
Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities:

Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
Organic farming.	Shall be actively promoted.
Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.

34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.,	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) The Deputy Commissioner, Haziribag, Government of Jharkhand– Chairman;
- (b) Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change –Member;
- (c) Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board–Member;
- (d) Representative of the Department of Forest and Environment, Government of Jharkhand –Member;
- (e) Representative of the Department of Mines, Government of Jharkhand – Member;
- (f) Representative of the Department of Industries, Government of Jharkhand – Member;
- (g) Representative of the Department of Revenue, Government of Jharkhand – Member;
- (h) Representative of the Department of Water Resources, Government of Jharkhand – Member;

3529 ३५७१०-७

- (i) Representative of the Department of Public works, Government of Jharkhand – Member;
- (j) The Senior Town Planner, Government of Jharkhand – Member;
- (k) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Jharkhand for a period of one year in each case– Member;
- (l) One expert in the area of ecology and environment to be nominated in each case for a period of one year by the Government of Jharkhand - Member; and
- (m) Divisional Forest Officer, Haziribag Wildlife Division-Member Secretary.

Terms of Reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

- 6.** The Central Government and The State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.
- 7.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/66/2015-ESZ-RD]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'


Annexure I

Global Positioning System (GPS) Coordinates Eco-sensitive Zone boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.

Sl. No.	GPS point	Longitude	Latitude
1.	E01	85°8.706'E	24°12.505'N
2.	E02	85°14.368'E	24°13.392' N
3.	E03	85°18.011'E	24°13.170' N
4.	E04	85°22.047'E	24°12.102' N
5.	E05	85°26.246'E	24°13.997' N
6.	E06	85°29.989'E	24°14.490' N
7.	E07	85°34.003'E	24°11.630' N
8.	E08	85°34.001'E	24°8.644' N
9.	E09	85°30.849'E	24°5.477' N
10.	E10	85°29.128'E	24°2.420' N
11.	E11	85°24.647'E	24°2.964N
12.	E12	85°23.248'E	24°2.328' N
13.	E13	85°19.769'E	24°1.092' N
14.	E14	85°15.208'E	24°0.271' N
15.	E15	85°12.587'E	24°2.134' N
16.	E16	85°11.982'E	24°4.971' N
17.	E17	85°10.091'E	24°7.275' N
18.	E18	85°8.697'E	24°9.403' N
19.	E19	85°8.796'E	24°11.242' N

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.



Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Hazaribag Wildlife Sanctuary, Jharkhand.

ECO FRAGILE/ECO SENSITIVE ZONE IDENTIFICATION AND DETAILS OF AREA AROUND HAZARIBAG WILD LIFE SANCTUARY

Sl. No	Name of Village	Admm Block	House Hold	Total Populatio n	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (hac.)	Other Govt. Land	Agricultural Land (hac.)	Mining/ query	Industries	Distance from HWLS Boundary (Km.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Banganwa	Barhi	36	268	0	0	268	198.03	42.35	166.77	Nil	Nil	5
2	Bela	Barhi	182	1140	212	0	928	0.00	66.85	195.44	Nil	Nil	3
3	Chalanga	Barhi	95	577	18	2	557	80.10	97.68	131.8	Nil	Nil	4.5
4	Mahugara	Barhi	64	507	0	0	507	205.20	25.16	35.96	Nil	Nil	2.5
5	TetariaBhand aro	Barhi	30	231	0	0	231	106.26	58.04	102.13	1	Nil	5
6	Tilaidih	Barhi	104	687	164	0	523	25.00	35.8	162.78	Nil	Nil	2.0
7	Jitupur	Barhi	87	434	13	90	331	201.42	24.50	102.10	Nil	Nil	4.5
8	Kutma	Barhi	101	537	81	455	1	457.03	56.92	49.20	Nil	Nil	2.5
9	Pipratand	Barhi	33	183	26	130	27	87.48	31.25	28.45	Nil	Nil	3.5
10	Bundu	Barhi	126	830	0	0	830	39.43	11.45	67.3	1	Nil	1.0
11	Khulra	Ichak	239	1517	327	1	1189	122.05	57.08	115.23	Nil	Nil	0.5
12	Rud	Ichak	155	757	160	0	597	0.00	59.98	50.64	Nil	Nil	0.5
13	Sirsi	Ichak	108	722	75	0	647	0.00	34.1	53.59	Nil	Nil	1.0
14	Tetaria	Ichak	85	557	140	0	417	0.00	12.25	34.85	Nil	Nil	2.0
15	Mangura	Ichak	421	2181	340	2	1839	0.00	47.85	97.43	Nil	Nil	2.5
16	Jamuar	Ichak	198	1166	176	0	990	0.00	63.43	58.78	Nil	Nil	3.0
17	Bhandua	Ichak	38	208	0	0	208	0.00	37.46	18.19	Nil	Nil	5
18	Chaprah	Ichak	171	955	206	0	749	0.00	11.05	56.03	Nil	Nil	0.5
19	Gobarbandha	Ichak	175	1189	124	3	1062	0.00	119.36	48.02	Nil	Nil	0.5
20	Purnachak alias Pumadih	Ichak	271	1723	384	0	1339	0.00	315.10	98.70	Nil	Nil	2.12

Sl.	Name of Village	Admm Block	House Hold	Total Population	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (hac.)	Other Govt. Land (hac.)	Agricultural Land (hac.)	Mining/ Quarry	Industries	Distance from HWLS Boundary (Km.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Bonga	Ichak	559	3280	520	0	2760	24.12	290.59	193.63	2	Nil	0.75
22	Chanda	Ichak	119	641	88	0	553	1.00	37.43	42.95	Nil	Nil	2
23	Daria	Ichak	298	1799	273	0	1526	216.76	52.64	86.48	Nil	Nil	0.5
24	Jalaundi	Ichak	260	1389	536	0	853	215.00	23.46	40.15	Nil	Nil	1.25
25	Jogdih	Ichak	86	536	81	0	455	0.00	38.26	48.68	Nil	Nil	0.5
26	Kariadpur	Ichak	346	2003	207	1	1795	0.00	128.42	88.42	Nil	Nil	2.5
27	Kurhu	Ichak	390	2583	426	0	2157	0.00	63.05	92.45	Nil	Nil	3.5
28	Lonhri	Ichak	48	256	185	0	71	54.85	2.95	36.87	Nil	Nil	5
29	Saram	Ichak	45	286	0	1	285	0.00	18.02	12.45	Nil	Nil	1.5
30	Urka	Ichak	133	807	81	10	716	24.87	68.82	62.96	Nil	Nil	1.5
31	Babhni	Ichak	161	842	75	589	178	556.36	127.67	62.50	3	Nil	3.5
32	Basaria	Ichak	106	613	31	0	582	85.08	5.33	82.41	3	Nil	5
33	Darha	Ichak	176	1134	226	0	908	201.6	110.21	73.65	Nil	Nil	2.12
34	Deokuli	Ichak	532	3070	1006	69	1995	0.00	65.25	101.35	Nil	Nil	5
								Total-2901.64	2239.76	2698.34			
35	Dighibasti	Ichak	38	261	9	0	252	33.38	98.08	42.01	Nil	Nil	1.5
36	Karma	Ichak	126	810	112	0	698	51.98	77.41	62.74	Nil	Nil	0.5
37	Khaira	Ichak	257	1455	300	321	834	284.68	510.42	144.23	Nil	Nil	3
38	Lundru	Ichak	404	2111	407	1	1703	214.53	130.11	195.91	Nil	Nil	5
39	Marpa	Ichak	63	297	49	58	190	0.00	139.39	45.42	Nil	Nil	5
40	Phuruka	Ichak	112	596	56	0	540	0.00	156.20	53.39	Nil	Nil	5
41	Garisaram	Ichak	167	866	305	0	561	102.87	54.31	80.14	1	Nil	2
42	GhaghraKhur	Ichak	121	650	0	0	650	0.00	69.41	38.42	Nil	Nil	5
43	UjahiDighi	Ichak	6	52	31	18	3	284.68	1.78	30.84	Nil	Nil	2
44	Amijhar	Kalkamsandi	41	249	242	0	7	509.11	15.70	53.02	Nil	Nil	5
45	Banjhia	Kalkamsandi	76	441	96	0	345	42.14	157.89	58.08	Nil	Nil	2
46	Bargara	Kalkamsandi	353	2195	658	6	1531	267.33	4.76	51.64	2	Nil	1

Sl. No.	Name of Village	Admm Block	House Hold	Total Population	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (hac.)	Other Govt. Land (hac.)	Mining/q uerry	Industries	Distance from HWLS Boundary (K.m.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Barwari	Katkamsandi	198	200	534	485	646	83	316	14	25.12	Nil
48	Danji	Katkamsandi	100	586	386	208	2	401	54	141	92	42.41
49	Dnajwa	Katkamsandi	292	975	27	0	1758	215	93	100	00	102.45
50	Johadiha	Katkamsandi	29	22	54	0	160	0.00	4.52	16.13	Nil	Nil
51	Kathoutia	Katkamsandi	115	567	165	12	390	330	26	25.7	98.9	Nil
52	Lakhnu	Katkamsandi	94	530	177	37	316	236	49	81.32	67.17	Nil
53	Lawakudar	Katkamsandi	71	465	0	191	274	511.47	14.60	120.37	Nil	Nil
54	Manar	Katkamsandi	60	416	118	0	298	299	02	43.94	88.89	Nil
55	Marigara	Katkamsandi	85	510	191	16	303	186	05	18.79	70.69	Nil
56	Maungam	Katkamsandi	39	249	6	102	141	373	96	4.89	11.6	Nil
57	Ulanj	Katkamsandi	79	535	18	0	517	78.47	2.28	127.21	Nil	Nil
58	Atia	Katkamsandi	5	71	0	0	71	0.00	26.51	24.7	Nil	Nil
59	Banadag	Katkamsandi	427	2491	327	0	2164	78.36	47.83	210.22	2	Nil
60	Chharwa	Katkamsandi	97	559	262	0	297	60.53	35.95	81.24	Nil	Nil
61	Dhahara	Katkamsandi	46	248	193	0	55	0.00	23.44	86.16	Nil	Nil
62	Garke alias Gobindpur	Katkamsandi	231	1420	134	0	1286	42.02	67.04	85.11	Nil	Nil
63	Harina	Katkamsandi	115	671	67	0	604	0.00	201.93	46.66	Nil	Nil
64	Hedlag	Katkamsandi	240	1548	497	0	1051	135.67	83.52	66.66	Nil	Nil
65	Kachanpur	Katkamsandi	460	2930	434	1	2495	156.04	9.25	254.51	Nil	Nil
66	Kansar	Katkamsandi	271	1505	437	79	989	195.35	194.83	60.88	Nil	Nil
67	Luta	Katkamsandi	185	1147	459	16	672	13.31	165.56	70.66	1	Nil
68	Nawada	Katkamsandi	133	843	94	0	749	151.35	221.47	32.05	Nil	Nil
69	Pabra	Katkamsandi	645	3854	967	0	2887	436.43	29.41	294.8	1	Nil
70	Rewali	Katkamsandi	230	1350	341	5	1004	0.00	84.16	49.48	Nil	Nil
								Total-	6339.78	3360.46	2989.91	

71	Romi	Katkamsandi	374	2920	384	0	2536	0.00	105.48	60.39	Nil	Nil	1.5
72	Nawakhap	Katkamsandi	55	340	108	0	232	158.51	95.53	14.08	Nil	Nil	5.0
73	Lunri	Katkamsandi	11	52	49	0	3	44.82	192.83	23.45	Nil	Nil	5.5
74	Pakrar	Katkamsandi	160	1081	17	0	1064	15.87	168.89	13.4	Nil	Nil	5.5
75	Tilaiya	Katkamsandi	41	302	0	0	302	18.15	31.42	30.71	Nil	Nil	2
76	Chapwa	H_bag	75	484	303	0	181	13.39	13.37	71.39	Nil	Nil	3.5
77	Churchu	H_bag	389	2402	479	1	1922	0.00	243.75	178.6	1	Nil	3.5
78	Merawal	H_bag	91	478	112	9	357	0.00	84.55	40.19	Nil	Nil	4
79	Nagwan	H_bag	510	2901	389	0	2512	0.00	64.32	88.38	1	Nil	2.5
80	Lati	Padma	88	462	57	0	405	16.23	30.04	43.68	Nil	Nil	5
81	Nawadih	Padma	41	224	0	0	224	4.63	68.01	41.26	4	Nil	2
82	Padma	Padma	932	5560	871	4	4685	77.00	665.71	126.46	Nil	Nil	2
83	Pasai	Padma	456	3051	515	0	2536	26.96	266.94	86.04	Nil	Nil	2.5
84	Pindarkon	Padma	229	1588	395	91	1102	336.80	117.44	75.66	Nil	Nil	1.5
85	Piri	Padma	225	1329	531	126	672	0.00	102.23	82.45	Nil	Nil	1
86	Saigawan	Padma	416	2636	325	0	2311	0.00	108.15	132.38	Nil	Nil	3.5
87	Sila	Padma	239	1381	301	165	915	0.00	76.24	93.42	Nil	Nil	2
88	Sonpura	Padma	79	407	141	0	266	52.59	39.75	36.06	2	Nil	1
89	Arar	Padma	202	1212	393	0	819	168.34	141.83	86.68	3	1	1.5
90	Garwa	Padma	135	841	201	0	640	40.12	32.91	72.08	Nil	Nil	1.5
91	Kutipisi	Padma	335	1910	213	11	1686	19.73	63.68	74.12	Nil	Nil	1.0
92	Mungarmao	Padma	88	536	247	0	289	65.78	54.20	36.98	Nil	Nil	0.5
93	Sarai	Padma	589	3786	764	0	3022	605.76	81.49	286.5	Nil	Nil	1.0
94	Surajpura	Padma	423	2551	392	0	2159	0.00	30.34	26.18	Nil	3	2.0
95	Siji	Padma	191	1034	127	0	907	11.78	41.59	67.26	Nil	Nil	1.5
96	Bihari	Padma	290	1430	107	0	1323	39.69	15.90	38.14	Nil	Nil	1.5
97	Majhgaoan	Padma	34	261	0	0	261	8.14	15.07	18.04	Nil	Nil	3.0
98	Mankola	Padma	261	1388	212	0	1176	435.49	67.64	154.46	Nil	Nil	4.5
99	Champadih	Padma	273	1461	206	0	1255	22.82	94.28	112.66	Nil	Nil	5.0
		Total-					2182.60	3113.58	2211.10	7899.35			
		G. Total-					11424.02	8713.8					

ANNEXURE-I

DETAILS OF ENCLAVED VILLAGES OF HAZARIBAG WILD LIFE SANCTUARY FOR IDENTIFICATION OF ECO FRAGILE/ECO SENSITIVE ZONE

Sl. No	Name of Village	Admn Block	House Hold	Total Population	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (ha.)	Other Govt. Land	Agricultural Land (ha.)	Mining/q uerry	Industries	Distance from HWLS Boundary (Km.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Balia	Katkamsandi	51	374	35	0	339	86.673	36.64	59.51	N.I.I.	N.I.I.	
2	Horeya	Katkamsandi	99	858	235	0	623	488.194	159.13	114.87	N.I.I.	N.I.I.	
3	Raiber	Katkamsandi	132	1341	138	128	1075	485.668	89.86	109.10	N.I.I.	N.I.I.	
4	Dahtokhurd	Katkamsandi	301	2513	362	1111	1040	789.028	156.85	268.34	N.I.I.	N.I.I.	
5	Danto Kalan	Katkamsandi	118	1145	430	265	450	225.619	130.54	135.43	N.I.I.	N.I.I.	
6	Kud	Katkamsandi	51	441	235	23	183	159.453	42.67	58.49	N.I.I.	N.I.I.	
7	Bajha	Katkamsandi	124	1012	236	326	450	201.818	123.52	144.00	N.I.I.	N.I.I.	
8	Sakaria	Katkamsandi	37	263	205	6	52	255.142	32.57	46.45	N.I.I.	N.I.I.	
9	Dumri	Katkamsandi	30	186	171	0	15	95.267	10.89	20.83	N.I.I.	N.I.I.	
10	Borogara	Katkamsandi	23	218	51	167	0	149.267	3.74	33.38	N.I.I.	N.I.I.	
11	Uridin	Katkamsandi	32	241	18	83	140	159.125	32.11	52.37	N.I.I.	N.I.I.	
12	Kharika	Katkamsandi	31	224	96	84	44	129.656	38.81	52.3	N.I.I.	N.I.I.	
13	Edla	Katkamsandi	58	546	106	49	391	111.685	84.46	102.94	N.I.I.	N.I.I.	
14	Hesakudar	Katkamsandi	91	749	121	286	342	0.00	93.74	124.41	N.I.I.	N.I.I.	
15	Lakhnu	Katkamsandi	64	530	177	37	316	239.3	93.76	55.16	N.I.I.	N.I.I.	
16	Hatkaura	Katkamsandi	54	1120	307	63	750	389.295	167.72	121.57	N.I.I.	N.I.I.	
17	Harhad	Katkamsandi	38	268	7	24	237	357.294	26.51	57.80	N.I.I.	N.I.I.	
18	Nachle	Katkamsandi	29	185	180	5	0	159.291	9.09	79.83	N.I.I.	N.I.I.	
19	Gurudih	Katkamsandi	45	416	42	335	39	398.551	78.81	97.46	N.I.I.	N.I.I.	
20	Dant	Katkamsandi	386	3494	680	165	2649	638.838	171.96	99.38	N.I.I.	N.I.I.	
21	Sarugarukhur d	Katkamsandi	57	342	26	0	316	12.976	4.88	104.64	N.I.I.	N.I.I.	
22	Bahinbar	Katkamsandi	107	931	181	0	750	41.417	80.28	70.22	N.I.I.	N.I.I.	
23	n	Katkamsandi	130	1096	308	0	787	67.227	52.58	112.72	N.I.I.	N.I.I.	
24	Total		55	713	316	0	337	173.559	202.26	51.47	N.I.I.	N.I.I.	

Sl.	Name of Village No	Admmn Block	Total House Hold	Total Population	S.C.	S.T.	Others	Forest Land (hac.)	Other Govt Land (hac.)	Agricultural Land (hac.)	Mining/ Quarry	Industries	Distance from HWLS Boundary (Km.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Gosi	Katkamsandi	22	135	13	0	122	354.396	74.46	23.85	Nill	Nill	Nill
26	Bagadha	Katkamsandi	218	2195	658	0	1537	34.737	8.60	176.84	Nill	Nill	Nill
27	Asdhir	Katkamsandi	120	951	572	0	379	8.603	98.28	101.33	Nill	Nill	Nill
28	Jalima	Katkamsandi	25	202	179	0	23	39.518	30.71	59.3	Nill	Nill	Nill
29	Bartua	Katkamsandi	15	80	0	0	80	130.546	29.22	43.12	Nill	Nill	Nill
30	Dukra	Katkamsandi	106	120	127	0	993	65.596	77.06	61.71	Nill	Nill	Nill
31	Lupung	Katkamsandi	574	4703	898	0	3805	19.817	79.31	386.73	Nill	Nill	Nill
32	Kumbhiyatand	Katkamsandi	38	22	0	0	22	161.044	59.87	133.39	2	Nill	Nill
33	Sulmi	Katkamsandi	152	1353	399	1	953	19.433	45.05	248.81	Nill	Nill	Nill
34	Dharhara	Katkamsandi	46	248	103	0	145	5.526	19.44	86.16	Nill	Nill	Nill
35	Kalwadi	Katkamsandi	35	198	110	21	67	8.34	3.45	10.12	Nill	Nill	Nill
36	Raheea	Ichak	71	458	454	0	4	565.619	48.57	107.84	Nill	Nill	Nill
37	Dumii	Ichak	17	62	62	0	0	574.15	15.39	18.93	Nill	Nill	Nill
		Total-Totals	3612.00	30932.00	8238.00	3179.00	19515.00	7792.24	2340.78	3661.20			
38	Champanagar Nawadih	Ichak	254	1930	390	0	1540	759.708	163.89	264.93	Nill	Nill	Nill
39	Tila	Ichak	212	1476	379	90	1007	495.336	128.105	178.35	1	Nill	Nill
40	Bhaswa	Ichak	44	391	75	0	316	15.814	96.95	82.53	Nill	Nill	Nill
41	Dumraun	Ichak	736	5886	1096	12	4778	118.485	62.66	368.25	5	6	
42	Dangi	Ichak	93	696	188	0	508	452.789	87.68	157.54	1	Nill	Nill
43	Mathwa	Ichak	1	3	0	0	3	321.956	16.63	5.47	Nill	Nill	Nill
44	Kaile	Ichak	21	143	0	0	143	595.312	0.41	30.17	Nill	Nill	Nill
45	Pokharia	Ichak	7	15	6	0	9	755.231	0.00	104.87	Nill	Nill	Nill
46	Pandra	Ichak	10	39	0	35	4	161.295	17.6	41.7	8	Nill	Nill
47	Lotwa	Ichak	60	402	263	137	2	145.260	106.72	72.86	Nill	Nill	Nill
48	ParasiRaighat	Ichak	3	12	0	12	0	1048.977	88.63	10.07	Nill	Nill	Nill
49	Hasel	Ichak	18	139	120	0	19	107.363	51.59	38.08	Nill	Nill	Nill

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
(Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
(Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
(Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.